जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 29-09-2021**

आज दिनांक 29.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 04.86 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थ बेंचने व सेवन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री अनिल कुमार** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 29.09.2021 को 04.86 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त नाम पता विजय शंकर गुप्ता पुत्र रामसहारे गुप्ता निवासी शिवसरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मुखलिसपुर ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 651 / 21 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

विजय शंकर गुप्ता पुत्र रामसहारे गुप्ता निवासी शिवसरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 651 / 21 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, हे0का0 नन्दलाल साहनी, हे0कां0 रोशन सिंह, कां0 मिंचू गुप्ता।

धनघटा पुलिस द्वारा 860 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थ बेंचने व सेवन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री अनिल कुमार दूबे** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 29.09.2021 को 860 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त नाम पता दीनदयाल केवट पुत्र स्व0 बुधई केवट निवासी मांझा खडगपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम खड़गपुर के पास स्थित मंदिर से गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 483 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
दीनदयाल केवट पुत्र स्व0 बुधई केवट निवासी मांझा खडगपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 483 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी पौली उ0नि0 श्री दीपक दूबे, उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का विजय सिंह, का0 उदय प्रताप सिंह।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थ बेंचने व सेवन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री अनिल कुमार** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 29.09.2021 को 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त नाम पता रंजीत पुत्र कैलाश निवासी नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ग्राम भाटपार के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 650 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
रंजीत पुत्र कैलाश निवासी नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 650 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी कांटे उ0नि0 श्री श्याममोहन, हे0का0 विजय कुमार सिंह।

02 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान 02 अलग अलग स्थानों से 02 अभियुक्त नाम पता 1-रिंकू पुत्र हरिलाल निषाद निवासी कलानी उर्फ बढ़नी थाना चिलुवाताल जनपद गोरखपुर 2- सद्दाम पुत्र इस्लाम निवासी पटवरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को प्रत्येक के कब्जे से क्रमशः 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 284 / 2021 व 288 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव, हे0का0 सुरेन्द्र प्रसाद, हे0का0 अशोक सिंह, हे0का0 रवीन्द्र शुक्ला।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1-वीरेन्द्र पुत्र शंकर निवासी लोहरौली थाना बेलहरकला 2- खेलावन पुत्र गुंजन निवासी पचराडीह थाना बेलरहकला जनपद संतकबीरनगर प्रत्येक के कब्जे से क्रमशः 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 182 / 2021 व 183 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमर सिंह मय हमराह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- रामनयन पुत्र स्व0 बनारसी निवासी बिहारे थाना बखिरा 2- सोनू पुत्र नगीना निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308 / 2021 व 309 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः उ0नि0 श्री कल्पनाथ सिंह, उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव मय हमराह।

दविश के दौरान 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दविश के दौरान वारण्टी नाम पता अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामकरन निवासी आगापुर उर्फ गुलरिहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, का0 पीयूष कुमार।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दविश के दौरान वारण्टी नाम पता राजेश्वर पुत्र पियारे निवासी सिकरी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी विसौवा उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, का0 बृजेश कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा मारपीट मे घायल को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत सिसई माफी से इवेन्ट संख्या 08215 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट मे 04 लोगों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर विवाद मे घायल व्यक्तियों को प्राइवेट वाहन से प्रा0स्वा0केन्द्र सेमरियावां भेजवाया गया व घटना के संबंध मे थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद मे घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुचाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 उपेन्द्र सिंह, मु0आ0 श्रवण कुमार त्रिपाठी, हो0चा0 शिव कुमार गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनो से 78000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनो से 78000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।